संख्या-867/2017/2337/22-2-2017-17(225)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 09 नवम्बर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बालेश्वर पुत्र श्री राजमणि तिवारी निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32403/प्रोबेशन-3(एम 22.06.2017) दिनांक 07.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बालेश्वर पुत्र श्री राजमणि तिवारी जो सड़ारी, थाना-कोतवाली नगर, जनपद-प्रतापगढ़ का रहने वाला है। बन्दी ने पूर्व से चली आ रही जमीन के मुकदमें की रंजिश एवं दिनांक 22.02.1998 को प्रात: 07:00 बजे बबूल के पेड़ से दातून तोड़ने को लेकर हुए विवाद में 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हरिकेश की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-174/1998, में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0-1), प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 31.05.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.09.2007 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.06.2017 तक 19 वर्ष 02 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 10 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला मजिस्टेट की अध्यक्षता में गठित समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 01.02.2016 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा जमीन के मुकदमें की रंजिश एवं दातून तोडने को लेकर हुए विवाद में हरिकेश नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 48 वर्ष लगभग है। शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है, बन्दी के भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, अपराध करने में अशक्त न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बालेश्वर पुत्र श्री राजमणि तिवारी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बालेश्वर (बन्दी संख्या-4792/2004) पुत्र श्री राजमणि तिवारी निवासी जनपद-प्रतापगढ़ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-867/2017/2337(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-867/2017/2337/22-2-2017-17(225)/2013

दिनांक 09 नवम्बर, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बालेश्वर पुत्र श्री राजमणि तिवारी जो सड़ारी, थाना-कोतवाली नगर, जनपद-प्रतापगढ़ का रहने वाला है। बन्दी ने पूर्व से चली आ रही जमीन के मुकदमें की रंजिश एवं दिनांक 22.02.1998 को प्रात: 07:00 बजे बबूल के पेड़ से दातून तोड़ने को लेकर हुए विवाद में 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हरिकेश की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-174/1998, में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0-1), प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 31.05.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.09.2007 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.06.2017 तक 19 वर्ष 02 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 10 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला मजिस्टेट की अध्यक्षता में गठित समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 01.02.2016 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा जमीन के मुकदमें की रंजिश एवं दातून तोडने को लेकर हुए विवाद में हरिकेश नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 48 वर्ष लगभग है। शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है, बन्दी के भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, अपराध करने में अशक्त न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता के दृष्टिगत गम्भीरता पूर्वक पुनर्विचार करते हुए यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बालेश्वर पुत्र श्री राजमणि तिवारी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in